



संपादकीय

2000 का नोट सबक सिखा गया सरकार को

जगदीश रत्नार्ण

2000 रुपये के नोट को जारी करने और वापस लेने के फैसले से सबक सीखा जा सकता है। पहला यह है कि निर्णय का उद्देश्य तब खो जाता है जब इसके कारण होने वाली बाधाओं को हल करना मुश्किल होता है। यदि नीति काले धन को बाहर निकालने के लिए थी (जिनमें से कोई भी नहीं मिला) तो उच्च मुद्रा नोट की शुरूआत एक पाठ्यक्रम का विषय है कि काले धन और जमाखोरी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या नहीं किया जाना चाहिए बुरी यादों के साथ जीना आसान नहीं होता है। विमुद्रीकरण ऐसी ही यादों में से एक है जो देश के दिलोदिमाग पर सरकार के एक ऐसे कदम के रूप में अंकित है जिसके कारण व्यापक व्यवधान व जनहानि हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। इसलिए यह आश्वर्य की बात नहीं है कि 2000 रुपये के नोट को बंद करने के फैसले से उस खतरनाक विमुद्रीकरण की बदसूरत याद ताजा हो जाती है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संगठित और वैध लूट कहा था। मोदी सरकार पर यह उनकी सबसे कठोर टिप्पणी थी। हर किसी को पता था कि नोटबंदी का यह भूत फिर सामने आयेगा। 2000 रुपये के नोट को बंद किए जाने से यह सामने आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट की कानूनी वैधता जारी रखने की घोषणा के साथ प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र और इससे संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएच्यू) के जवाबों के साथ इसे खबरों में बनाये रखा। इस डर से कि इस निर्णय को गलत तरीके से समझा जाएगा, यह सावधानी और परिवर्तन जरूरी था। निश्चित रूप से इस बार यह विमुद्रीकरण का मामला नहीं है बल्कि 2000 रुपये के नोट के प्रचलन से योजनाबद्ध वापसी का मामला है। नागरिकों के पास 30 सितंबर, 2023 तक अपने खातों में नोट जमा करने या बैंक काउंटरों पर अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के साथ इहें बदलने का समय है। हालांकि एक्सचेंज में थोड़ी कठिनाई है—बैंक शाखाओं के कामकाज में बाधा न पहुंचे इसलिए एक बार में केवल 20,000 रुपये तक के नोट जमा किए जा सकते हैं। केवाईसी मानदंडों के साथ नोट जमा के लिए कोई सीमा नहीं है। आरबीआई के शब्दों में कहा जाए तो जनता को होने वाली असुविधा को कम करने, परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने तथा बैंक शाखाओं के नियमित कामकाज में व्यवधान से बचने के लिए सभी बैंक एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं। इसे देखने का एक तरीका यह है कि आरबीआई एक व्यवस्थित विनियम चाहता है जो विध्वंसक नहीं है।

इसका दूसरा पक्ष यह है कि भारतीय बैंकिंग और शाखा संचालन को भारतीय नोटों के साथ वाधित करना काफी आसान प्रतीत होता है ! अपने अद्वितीय बैंगनी रंग के साथ 2000 रुपये का नोट कम से कम स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे कम समय तक रहने वाले भारतीय मुद्रा नोट के रूप में जाना जाएगा । उच्च मूल्य वर्ग के नोट को वापसी लेना सही दिशा में एक कदम है । उच्च मुद्रा नोट को भारतीय प्रणाली से लगभग सभी नकदी के (चलन से) बाहर निकलने के कारण उत्पन्न शून्य को भरने के लिए एक अति साहसिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो देश में तब तक (और अब भी कई हिस्सों में) नकदी के लेन-देन पर रहता है । फिर भी, यह शुरू में ही स्पष्ट हो गया था कि सिस्टम से काले धन को बाहर निकालने का नोटबंदी कार्यक्रम का एक कथित उद्देश्य उच्च मुद्रा नोट के जारी होने के साथ ही विफल हो गया था । जब नोट उच्च मूल्यवर्ग का होता है तो नकदी की जमाखोरी आसान होती है । नतीजतन, नकदी जमा करने के लिए हतोत्साहित करने के लिए यह होना चाहिए कि मुद्रा का बड़ा हिस्सा छोटे मूल्यवर्ग में होना चाहिए । विकसित दुनिया में उच्च मूल्य वर्ग के नोट जारी नहीं किए जाते हैं । उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व बोर्ड वर्तमान में 1, 2, 5, 10, 20, 50 और 100 डॉलर के मूल्यवर्ग में बैंक नोट जारी करता है । वहाँ उच्च मूल्यवर्ग का नोट आखिरी बार 1945 में मुद्रित किया गया था और 1969 में बंद कर दिया गया था । भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर, 2016 को की गई थी । मार्च, 2017 तक तत्कालीन नए पेश किए गए 2000 रुपये के बैंक नोट का हिस्सा, प्रचलन में रही मुद्रा के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक था लेकिन बाजार में प्रचलन में मुद्रा की कुल मात्रा का सिर्फ 3.3 फीसदी था । नकदी के भूखे देश की जमाखोरी की तत्काल आवश्यकता को 2000 के नोट ने पूरा किया । हालांकि समय के साथ नोट के सामान्य प्रवाह को एक योजनाबद्ध तरीके से कम कर दिया गया है जिसमें नोटों की संख्या में कमी आई है । 2018-19 में नोटों की छापाई बंद हो गई थी । उच्च वर्ग के नोट की वापसी का यह निर्णय समझदारी और जननहतीषी नीतियों का मामला रहा है । यह सरकार के कुछ अन्य नीतिगत उपायों की अचानक घोषणा के बिल्कुल विपरीत है, खासकर नोटबंदी और लॉकडाउन के संदर्भ में जब कोविड-19 का प्रकोप शुरू ही हुआ था । 2000 रुपये के नोट को जारी करने और वापस लेने के फैसले से सबक सीखा जा सकता है । पहला यह है कि निर्णय का उद्देश्य तब खो जाता है जब इसके कारण होने वाली बाधाओं को हल करना मुश्किल होता है । यदि नीति काले धन को बाहर निकालने के लिए थी (जिनमें से कोई भी नहीं मिला) तो उच्च मुद्रा नोट की शुरूआत एक पाठ्यक्रम का विषय है कि काले धन और जमाखोरी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इसे केवल तात्कालिक दर्द को कम करने के लिए किया जाना चाहिए था । दूसरा यह कि सरकार यहाँ लोगों को अप्रत्याशित रूप से पकड़ने के लिए नहीं है । अप्रत्याशित तरीके से पकड़ने की नीति संकट पैदा करेगी । इससे यह लगता है कि लोग विरोधी हैं, अयोग्य और अनिच्छुक हैं या सामूहिक भलाई के लिए सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

जो गीत दिलों में कल हुए हर गीत का बदला मांगेंगे

વધા ભમ્માણ મજા

के हित साधन में चूक कर जाते हैं। किसी भी लोकतंत्र में सरकार के मायने क्या होते हैं? यही कि उसके फैसलों से उसके नागरिकों की जिंदगी आसान हो, उनकी तकलीफों की सुनवाई हो, वे सुरक्षित हों लेकिन क्या ऐसा है? तो फिर जंतर-मंतर पर देश के लिए मैदल लाने वाली पहलवानों की तकलीफ पर कोई क्यों कान नहीं धरता? दिल्ली पर जनता के बिरुद्ध क्यों अध्यादेश आता है? और मणिपुर में 75 लोगों के प्राण जाने के बाद हिंसा का दोबारा भड़कना क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि केंद्र की सरकार जिसका बेटी बच्चाओं, बेटी पढ़ाओं में गहरा यकीन है वह महिला पहलवानों की पीड़ा को यूं अनेदेखा कर देता है? सबका साथ सबका विकास कहते-कहते मणिपुर में क्यों ऐसा फैसला लिया कि वह हिंसा की आग में जलने लगा? न्यूनतम सरकार और अधिकतम साशन का भी नारा तो दिया लेकिन दिल्ली राज्य पर अपनी सरकार का कब्जा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद क्यों नहीं हो रहा?

प्रधानमंत्री के लिए पलकें बिछाए हुए रहते हैं। यह स्वाभाविक भी है और फिर भाजपा ने इसे बड़े इवेंट्स में तब्दील करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। खुब खर्च किया जाता है और फिर भारतीय मौड़िया इसे दिखा-दिखाकर जनता के बीच अच्छी छवि गढ़ने के काम में जुट जाता है। अभी हाल ही में एनडीटीवी की एक पत्रकार पर ऐसा ही दबाव था जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बेशक, नेता का सम्मान होता है क्योंकि उसका देश उसे यह शक्ति देता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का भी होता था और डाक्टर मनमोहन सिंह का भी, जिनके लिए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यहां तक कहा था कि उनका होना दुनिया के लिए फख की बात है। लिहाजा उनका पूरा ध्यान रखा जाए। यह सब अच्छा लगता है, लेकिन बात फिर वहीं लौटती है कि देश की जनता को क्यों भुला दिया जाता है। मुल्क में इन दिनों जो निर्णय लिए गए हैं उन पर भी गौर करने की जरूरत है।

सूरत
दब
वानों
का
समय
ने हैं।
8 में
बार
न वे
लड़
दो-
र से
एक
लिए
ही है।
जब
लड़
होता
पपास

केजरीवाल को मिलेगा कांग्रेस का साथ

डॉ. आशा

जब बात अपनी सरकार पर आ गई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन सभी से हाथ मिलाने, गले मिलाने और साथ चलने को तैयार हैं, जिन्हें वो किसी समय गर्म पानी पी-पीकर कोसा करते थे। केजरीवाल का यह दोहरा चरित्र देशवासियों के लिए हैरानी की बात भी नहीं है। कई अवसरों पर उनका दोहरा चरित्र और मापदण्ड उजागर हो चुके हैं। ताजा मामला केंद्र और दिल्ली सरकार के मध्य शक्तियों के बंटवारे को लेकर है। इसीलिए केजरीवाल इस समय विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अपनी पार्टी का प्रचार करना नहीं अपितु केंद्र सरकार द्वारा जारी उस पोस्टिंग के अधिकार निर्वाचित सरकार से छीनकर फिर से उपराज्यपाल को सौंप दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की याचिका पर यह निर्णय दिया था कि नौकरशाहों के तबादले और पदस्थापना का अधिकार चुनी हुई सरकार को ही होना चाहिए, अन्यथा वह सुचारू तरीके से काम नहीं कर सकेगी। उस निर्णय से उत्साहित केजरीवाल सरकार ने विजयी मुद्रा में ताबड़ोड़ स्थानांतरण करने आरंभ कर दिए। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने अध्यादेश निकालकर उस निर्णय को उलट दिया। इसी के साथ उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील भी प्रस्तुत कर दी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी दुविधा की स्थिति है क्योंकि उसके अपने निर्णय के विरुद्ध अपील पेश करने वाली केंद्र सरकार ने अध्यादेश निकालकर उस निर्णय को वर्तमान में तो प्रभावहीन कर हाँ दिया। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार छः माह के भीतर अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों की स्वकृति मिलनी अनिवार्य है। और इसीलिए केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मेल-मुलाकात करके इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि जब उत्तर अध्यादेश संसद के मानसून सत्र में विधेयक के तौर पर पेश हो तब उच्च सदन अर्थात् राज्यसभा में सर्वोच्च भाजपा विरोधी दल उसका विरोध

अखंड भारत के पक्षधर वीर सावरकर

अरविंद जयतिलक

आज भारत राष्ट्र के लिए गैरव का दिन है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। स्वतंत्र भारत का यह निर्मित सर्वोच्च पंचायत भारतीय मूल्यों, प्रतिमानों के साथ लोकतंत्र और संविधान की सर्वोच्चता का उद्घोष है। आजादी के महानायकों के महानतम समर्पण, आकांक्षाओं और उच्च आदर्श भावों का प्रतिफल है। देश के एक सौ चालीस करोड़ लोगों की भावनाओं और भागीदारी की पूंजी है। सरकार बधाई की पात्र है कि उसने नई संसद का उद्घाटन आजादी के महान योद्धा वीर सावरकर की जयंती पर करने जा रही है। एक महान राष्ट्रभक्त के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। वीर सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्षधर रहे। 13 दिसंबर 1937 को नागपुर की एक जनसभा में उन्हें नियमित रूप से लोकतंत्र के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी और 15 अगस्त 1947 को भारतीय तिरंगा का ध्वजारोहण करते हुए कहा कि मुझे स्वराज प्राप्ति की खुशी है, किंतु वह खट्टित है, इसका दुख है। उन्होंने

न समस्था आ गया। इसके लिए लंदन से लंकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए, किंतु सभी प्रयास असफल रहे। बाद में वह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हालौड़ से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियोगी फ्रांस पहुंचायी गयी। सावरकर पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश हुक्मसे ने वापस ले लिया। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैण्ड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना किया। नवीजा उनके वकालत करने पर रोक लगा दी गयी। वीर सावरकर ने राष्ट्रध्वज तिरणी के बीच में धर्म चक्र लगाने का सर्वप्रथम मुज़ाव दिया जिसे डा० राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। 10 मई, 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गढ़ नहीं, अपितु भारत के स्वातंत्र्य का प्रथम संग्राम सिद्ध किया।

वीर सावरकर भारत ही नहीं बल्कि

१०८

साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 22 जून 1941 को उनकी मुलाकात सुभाषचंद्र बोस से हुई। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के निवेदन सहित उन्होंने चर्चित को तार भेजकर सूचित किया। दुर्भाग्य पूर्ण की आजादी के बाद भी कांग्रेस उनसे नफरत करती रही और नेहरू सरकार ने 5 फरवरी 1948 को उन्हें प्रिवेन्टिव डिटेनशन एक्ट धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के भारत आगमन की पूर्व संथ्या पर भी बेलगाम की जेल में उन्हें रोककर रखा गया। जु़ुबारू तेवर और मातृभूमि के प्रति असीम श्रद्धा के कारण ही उन्हें वीर सावरकर कहा गया। नासिक जिले के कलेक्टर जैकसन की हत्या के लिए नासिक बड़यंत्र कांड के अंतर्गत उन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया। उन्हें यहां कोल्हू में बैल की तरह जुत कर सरसों तथा नारियल आदि का तेल निकालना होता था। रुकने पर उनको कड़ी सजा व बेंत व कोड़ों से पिटायी की जाती थी।

इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना नहीं
दिया जाता था। वे 4 जुलाई 1911 से 21 मई
1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे और
भारत माता की आजादी का सपना देखते रहे।
कुल मिलाकर वीर सावरकर 5585 दिन
प्रत्यक्ष कारगर में और 4865 दिन नजरबंदी
में रहे। दोनों को जोड़ दें तो वे 10410 दिन
यानी 28 वर्ष 200 दिन तक जेल में रहे। वीर
सावरकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खिलाफ़त
आंदोलन का विरोध किया और इसके घाटक
परिणामों की चेतावनी दी। इससे इंकार नहीं
किया जा सकता कि खिलाफ़त आंदोलन से ही
पाकिस्तान नामक विष वृक्ष की नींव पड़ी।

आइए हम बताते हैं कि
कांग्रेस समेत तथाकथित सेक्युलर वीर
सावरकर और उनकी विचारधारा का विरोध
क्यों करते हैं। दरअसल सावरकर ने 1946 के
अंतरिम चुनावों के दौरान देश के जनमानस को
आगाह किया कि वह कांग्रेस को बोट न दे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बोट देने का अर्थ

किया था जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से
रिहाई की मांग की थी। बेहतर होता कि कांग्रेस
वीर सावरकर की शहादत को लालिक्षण करने वें
बजाए उनका इतिहासपक मूल्यांकन करती
कांग्रेस का ऐसा अपमानजनक आचरण तब है
जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वीर
सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी किया
जा चुका है। उचित होगा कि कांग्रेस वामपंथी
इतिहासकारों की सांप्रदायिक लेखनी और
जुगाली पर भरोसा के बजाए द इंडियन वॉर्ल्ड
आर्फ़ इंडिपेंडेंस-1857 जो कि खुद सावरकर
द्वारा लिखित है, से उनके विचारों और
खोजपूर्ण इतिहास का अध्ययन करती। कांग्रेस को
को बाद रखना चाहिए कि जिस 1857 के
क्रांति को वह सिपाही विद्रोह या अधिकांश
भारतीय विद्रोह करार दी और अधिकांश
वामपंथी इतिहासकारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य
के विरुद्ध विद्रोह माना उस क्रांति को वीर
सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
कहा।

• • • • •

दिल्ली सरकार की शक्तियों पर अध्यादेश संघवाद पर हमला

The image is a composite of two parts. The left half is a vertical column of text in Hindi. The right half is a black and white photograph of a man with dark hair, wearing glasses, a mustache, and a blue plaid shirt. He is positioned in front of a microphone, suggesting he is giving a speech or interview. The background is dark and out of focus.

The image shows the exterior of the Supreme Court of India. The building is a large, white, domed structure with a red brick base and multiple levels. In the foreground, there is a bronze statue of a person, possibly a historical figure, standing on a circular base. The sky is clear and blue.

A close-up photograph of a man with dark hair and glasses, wearing a black vest over a white shirt. He is speaking into a black microphone with a red tip. The background is blurred.

जाता है। अदलत की जानबूझ कर कीं गई ऐसी अवज्ञा से मोदी सरकार ने लोकतंत्र और संघवाद के प्रति अपनी अवमानना की घोषणा की है। अपने पूरे नौ साल के कार्यकाल के दौरान, मोदी सरकार निवाचित गैर-भाजपा राज्य सरकारों के अधिकारों पर हमला करती रही है और संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों का गलत इस्तेमाल करती रही है। इसे जम्मू और कश्मीर में राज्य को विघटित करके और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में परिवर्तित करके संवैधानिक ढाँचे पर हमले का गंभीर अनुपात ग्रहण किया। यह अध्यादेश एक निवाचित सरकार के अशक्तिकरण के वैध बनाकर लोकतांत्रिक संघवाद पर हमले को एक नये स्तर पर ले जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में इस कठोर उपाय को रद्द करने के लिए कदम उठाना होगा। राजनीतिक स्तर पर, समूचे विपक्ष को एक जुट होकर अध्यादेश का विरोध करना चाहिए, जब मोदी सरकार इसे विधेयक के रूप में संसद में पेश कर उसे पारित कराकर कानून बनाने की कोशिश करेगी। इस एक जुट विरोध के संदर्भ में काग्रेस पार्टी को अपने रुख के बारे में संदेहास्पद स्थिति को दूर करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और आप के प्रति शत्रुता इसकी स्थिति निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह किसी एक नेता या किसी एक पार्टी के बारे में नहीं है— यह लोकतंत्र और संघवाद पर एक बुनियादी हमला है। अध्यादेश का विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियां कितनी एक जुट होकर आगे बढ़ती हैं, इससे भाजपा के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिए एकता बनाने की एकता पर असर पड़ेगा।

चित्रकूट - उन्नाव संदेश

हाइवे पर सांड से भिड़न्त में बाइक सवार दम्पति की मौत, मासूम घायल, परिजनों में मचा हाहाकार

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। ज्ञासी-मिजारुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवार अचानक सड़क पर आये सांड से टक्करा गये। इससे बाइक सवार पति-पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि दो साल का मासूम बालक मासूमी रूप से घायल हो गया। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के दौरान सांड की भी मौत हो गई है।

ये हादसा शिवामपुर के हुआ। बताया गया

कि सतना मप्र के बरोदी थे जो कि ग्रह कुमार अपनी पत्नी संगीता के बच्चे गोलू के साथ बाइक से समुराल भरतकूप आया था। दो रात वह बाइक से पती व बच्चे को लेकर घर जा रहा था। शिवामपुर चैकी प्रभारी रजोल नागर ने बताया कि हाइवे शिवामपुर कर्के के पास पहुंचते ही अचानक सड़क किनारे तेज रस्ते से सांड अगरा सांड से बाइक की टक्कर में पति-पत्नी के छिटकार सड़क पर जा गए और लहरतुरुमा हो गए।

बालक छिटकार सड़क किनारे मिट्टी में गिरा। इससे बालक मासूमी रूप से घायल हो गया। टक्कर के दौरान भी मौत हो गई।

108 एम्बुलेंस से तीनों को जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने दम्पति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के मोबाइल से परिजनों को जानकारी दी। परिजनों में हाहाकार मचा है। घायल बालक की हालत खतरे से बाहर है।

लाडली कन्या का मनाया जन्मोत्सव



अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। दो सौ बेंड एमसीए चिंग खोड़ के अस्पताल में लाडली कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। नवजात कन्या का जन्मोत्सव धूमधाम से डॉक्टरों ने मनाया।

शनिवार को खोड़ स्थित अस्पताल में लाडली कन्या जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एमके जयराया, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ उषा सिंह, प्रोफेशन अधिकारी रामबाबू विश्वकर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक आकें करवरिया, जिला मातृ स्वाच्छ परमर्शदाता अरुण कुमार व बन स्टॉप से श्रीमती प्रीती व अन्य कर्मी मौजूद रहे।

जात है कि दो सौ बेंड एमसीए प्रसूत महिलाओं के प्रसव होने लगे हैं। उनके निर्देश पर खोड़ स्थित अस्पताल में जिलाधिकारी अधिकेक अनन्द के निर्देश रस्ते पर सूत्राणा भर अस्पताल का संचालन शुरू करा दिया गया है।

उद्योगी लाभ पाने को कराये पंजीयन

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। उप आयुक्त उद्योग एसके केशरवानी ने जिले के उद्यमियों व्यापारियों/हस्तशिल्पियों से कहा है कि उद्योग/उद्यम/व्यापार/हस्तशिल्प से जुड़े कार्य को एक जून से 15 जून तक खुआरी (उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्ति पत्र) पंजीयन अधियान चलाया जा रहा है।

शनिवार को उहोने बताया कि पंजीयन सहज जनसेवा केन्द्र के माध्यम से वेबसाइट पर खुद कर सकते हैं। पंजीयन के समय अधार, पैन, बैंक एकाउंट नं., उद्यम की लागत एवं रोजगार की संख्या के साथ आवेदन कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त इकाईयों को फैसिलिटेशन कार्यसिल से विवादों में निस्तारण, विभिन्न टेंडरों में ईम्प्लॉयमेंट, बैंकों से विभिन्न योजानों में वरीयता आदि की सुविधा मिलती है। सासन से शीघ्र सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना के कारण बीमा की सुविधा दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

एएसपी ने मऊ थाने में फरियादियों की सुनी समर्याये



अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में थाना मऊ में थाना समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिये।

शनिवार को एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी के समक्ष भूमि विवाद से सम्बन्धित मामला आया। उहोने रेजस्ट्रेशन व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर निस्तारण कराने के निर्देश दिये। थाना समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ राजीव कुमार सिंह, अपराधि निरीक्षक अभ्यरणा जनरायन प्रतीप सिंह एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

बहिलपुरवा पुलिस ने तीन गौ तस्करों को दबोचा,

40 गौवंश बरामद

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला के निर्देश पर अवैध शराब निमांण एवं बिक्री की रोकथाम को जारी अधियान में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्त्ता गुलाबचन्द्र त्रिपाठी की अग्नार्वद में दरगांगा मुनीलाल की टीम ने नवल किशोर पुत्र शिवामपुर निवासी कोल गविहाया के कब्जे से 24 क्वार्टर देशी शराब समेत गिरफ्तार किया है। उके खिलाफ कोतवाली की गाड़ी में आवारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। टीम में दरगांगा मुनीलाल, सिपाही गोलू भार्गव व जयनारायण पटेवरा शामिल रहे।

शनिवार को इसी क्रम में भरतकूप थाने के दरेखेख में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा गुलाबचन्द्र सोनर की टीम ने तीन अंतर प्रान्तीय तस्करों को 40 गौवंशों समेत गिरफ्तार किया है। शनिवार को प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा की टीम को मुख्यालय से सूचना मिली कि ओहम बांध के पास जंगल से सेमरदहा से तीन लोग को गौतस्करी को 40 गौवंशों को ले जा रहे हैं। पुलिस ने तल्काल पहुंचकर तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में नाम-पता जेशा नामक पुरुष खेमा नायक निवासी पोरायी थाना सुहागपुर जिला शहडोल मध्य, तेजा नायक पुरुष प्रेमा नायक निवासी घाटा जिला अनूपपुर मध्य व राजेश पुरुष दुखारा कोल निवासी पंसरी थाना सुहागपुर जिला शहडोल मध्य बताया। उहोने बताया कि वे गौवंशों को वध की गर्ता से मध्य सीमा तक पैदल जंगल के रास्ते ले जाते हैं। मध्य की सीमा आओ ही गौवंशों को ट्रक में लादकर शहडोल ले जाते हैं। पूछताछ में बताया कि वे कार्य बहुत दिनों से कर रहे हैं। थाना बहिलपुरवा में तीनों के खिलाफ गौवंश निवारण कुशवाहा कोल निवासी पंसरी थाना सुहागपुर जिला शहडोल मध्य अधिनियम एवं पशु कूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।



अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ जारी कार्यवाही के क्रम में एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी एवं अन्यों से विवादों में दरेखेख में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला को दरेखेख के दौरान अपराधियों को ले जाते हैं। इससे बाइक सवार परिजनों की मौत हो गई।

बहिलपुरवा पुलिस ने तीन गौ तस्करों को दबोचा,

40 गौवंश बरामद

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ जारी कार्यवाही के क्रम में एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी एवं अन्यों से विवादों में दरेखेख में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला को दरेखेख के दौरान अपराधियों को ले जाते हैं। इससे बाइक सवार परिजनों की मौत हो गई।

बहिलपुरवा पुलिस ने तीन गौ तस्करों को दबोचा,

40 गौवंश बरामद

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ जारी कार्यवाही के क्रम में एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी एवं अन्यों से विवादों में दरेखेख में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला को दरेखेख के दौरान अपराधियों को ले जाते हैं। इससे बाइक सवार परिजनों की मौत हो गई।

बहिलपुरवा पुलिस ने तीन गौ तस्करों को दबोचा,

40 गौवंश बरामद

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ जारी कार्यवाही के क्रम में एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी एवं अन्यों से विवादों में दरेखेख में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला को दरेखेख के दौरान अपराधियों को ले जाते हैं। इससे बाइक सवार परिजनों की मौत हो गई।

बहिलपुरवा पुलिस ने तीन गौ तस्करों को दबोचा,

40 गौवंश बरामद

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ जारी कार्यवाही के क्रम में एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी एवं अन्यों से विवादों में दरेखेख में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती वृदा शुक्ला को दरेखेख के दौरान अपराधियों को ले जाते हैं। इससे बाइक सवार परिजनों की

